## उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–9 संख्या–*175०५१*/2023 / XXVII(9) / स्टाम्प–06 / 2009 देहरादूनः दिनांकः 14 दिसम्बर, 2023

## <u>अधिसूचना</u>

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से पंजीकरण एवं दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण एवं संबधित पक्षों के आधार तथा वर्चुअल सत्यापन हेतु रजिस्ट्रेशन मैनुअल के नियम 292 और नियम 304 में निम्न नियमों को अंतः स्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:--

नियम 292.क :-- नियम 292 में उल्लिखित प्रस्तुतिकरण के स्थान के साथ साथ रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लेखपत्रों का वर्चुअल प्रस्तुतिकरण भी स्वीकार कर सकेगा।

नियम 304.क :-- रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी वीडियो कॉल सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम एवं पक्षकारों की स्वेच्छा पर आधार प्रमाणीकरण के द्वारा भी पक्षकारों के लेखपत्र के निष्पादन की पुष्टि एवं पक्षकारों की पहचान सुनिश्चित करते हुये स्वयं को संतुष्ट कर सकेगा।

Signed by Dilip Jawalkar Date: 14-12-2023 12:16:41 (दिलीप जावलकर) सचिव।

# <u>सं0/75040/2023 /XXVII(9)/स्टाम्प-06/2009 तददिनांकित ।</u>

प्रतिलिपिः-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

- वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
- 3. मण्डलायुक्त कुमायूँ / गढ़वाल, उत्तराखण्ड ।
- 4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून ।
- न्याय / विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

 7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 100 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
8. गार्ड फाईल

आज्ञा से.

(सी0 रविशंकर) अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.175040 /2023 /XXVII (9)/ Stamp/06/2009, dated 14 December, 2023 for general information.

### Government of Uttarakhand Finance Section-9 No. 17 5040 /2023/XXVII(9) / Stamp-06/2009 Dehradun: dated: 14 December, 2023

#### **Notification**

In exercise of the powers conferred by section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act 10 of 1897), the Governor is pleased to insert the following rules in rule 292 and rule 304 of the Registration Manual from the date of publication of this notification in the Gazette, regarding the registration and presentation of documents and verification of the Aadhar of concerned parties in a virtual manner:-

**Rule 292.A** In addition to the presentation mentioned in Rule 292, the Registering Officer may also accept virtual presentation of instruments.

**Rule 304.A** The registering officer shall be able to satisfy himself by verifying the execution of the deed of the parties and ensuring the identity of the parties through the process of video conferencing verification and the process of Aadhar Authentication at the will of the parties.

By Order

Signed by Dilip Jawalkar Date: 14-12-2023 12:17:12 Secretary.

1